

# न्यायालय अति.जिला कलक्टर, भीलवाड़ा

पीठासीन अधिकारी ओमप्रकाश मेहरा (आर.ए.एस.)

प्रकरण संख्या : 55/2022 आवंटन निरस्त

1. राज्य सरकार जरिये बनाम  
तहसीलदार बिजौलिया  
जिला भीलवाड़ा

1. गोमालाल पुत्र नाथू बंजारा निवासी  
नयानगर तहसील बिजौलिया

—प्रार्थी

—विपक्षीगण

प्रार्थना पत्र अर्न्तगत राजस्थान भू आवंटन नियम 1970 के नियम 14(4)

उपस्थित —

1. राजकीय अधिवक्ता — प्रार्थी की ओर से
2. श्री रमेशचन्द्र सारस्वत अधिवक्ता — विपक्षी की ओर से

## निर्णय

दिनांक 25.11.2024

प्रार्थी की ओर से एक प्रार्थना पत्र अर्न्तगत कृषि प्रयोजनार्थ भू-आवंटन नियम 1970 के नियम 14(4) विरुद्ध विपक्षी के प्रेषित कर निवेदन किया कि विपक्षी को ग्राम नयानगर तहसील बिजौलिया की आ.न. 1331/198 रकबा 0.4856 हैक्ट. भूमि का आवंटन कमेटी द्वारा आवंटन की गयी। आवंटि के नाम गैर खातेदारी दर्ज रेकॉर्ड है। आवंटि (अप्रार्थी) द्वारा आवंटन शर्तों की पालना नहीं कर उल्लंघना की है। आवंटित भूमि पर आवंटि का मौके पर कब्जा व काशत नहीं है। अतः अप्रार्थी के पक्ष में किया गया आवंटन निरस्त किया जाकर बिलानाम सरकार दर्ज किये जाने का आदेश फरमावें।

प्रस्तुत प्रार्थना पत्र न्यायालय में दायर किया जाकर विपक्षी को नोटिस जारी किये गये। उभयपक्ष अधिवक्ताओं की बहस सुनी गयी। विपक्षी की ओर से लिखित बहस पेश की गयी।

प्रकरण में प्रार्थी की ओर से राजकीय अधिवक्ता ने अपनी बहस में प्रार्थना पत्र के तथ्यों को दोहराते हुये बताया कि विपक्षी को ग्राम नयानगर तहसील बिजौलिया की आ.न. 1331/198 रकबा 0.4856 हैक्ट. भूमि का आवंटन कमेटी द्वारा आवंटन की गयी। आवंटि के नाम गैर खातेदारी दर्ज रेकॉर्ड है। आवंटि (अप्रार्थी) द्वारा आवंटन शर्तों की पालना नहीं कर उल्लंघना की है। आवंटित भूमि पर आवंटि का मौके पर कब्जा व काशत नहीं है। अतः अप्रार्थी के पक्ष में किया गया आवंटन निरस्त किया जाकर बिलानाम सरकार



14(4) स्वीकार योग्य ठहरता हूँ। अतएव—

## आदेश

प्रार्थी की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र राजस्थान भू आवंटन नियम 1970 के नियम 14(4)बाबत भू-आवंटन निरस्तीकरण का स्वीकार कर विपक्षी के नाम आवंटित ग्राम नयानगर तहसील बिजौलिया की आ.न. 1331/198 रकबा 0.4856 हैक्ट. भूमि आवंटन को खारिज किया जाता है एवं तहसीलदार बिजौलिया को निर्देश दिये जाते है कि ग्राम नयानगर तहसील बिजौलिया की आ.न. 1331/198 रकबा 0.4856 हैक्ट. भूमि को कब्जे सरकार लेकर राजस्व रिकार्ड में बिलानाम दर्ज किया जावे। निर्णय की प्रति तहसीलदार बिजौलिया को संप्रेषित की जावे।

निर्णय आज दिनांक 25.11.2024 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर बाद हस्ताक्षर खुले न्यायालय में सुनाया गया।



(ओमप्रकाश मेहरा)  
अति. जिला न्यायाधीश  
भिलवाड़ा